

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य आंकड़े			
स.क्र.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार		7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी	
	ख.	जनसंख्या ⁴⁶ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी	
4	गरीबी रेखा ⁴⁷ से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)			31.70 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता ⁴⁸ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	69.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴⁹ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2015)		50 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	जन्म ⁵⁰ के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत = 68.30 वर्ष) (2011–15)			64.80 वर्ष
8	*जिनी कोएफीशियेन्ट ⁵¹			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29)	0.29	
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.36	
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016–17 चालू मूल्य पर			₹ 6,40,484 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2007–08 से 2016–17)	मध्य प्रदेश		14.70 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य		13.20 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2007–08 से 2016–17)	मध्य प्रदेश		16.50 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य		14.60 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर ⁵² (2007–08 से 2016–17)	मध्य प्रदेश		15.10 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य		11.90 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े			
	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2007–08 से 2015–16	2015–16 से 2016–17
			सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के		14.58	16.69
ख.	स्वयं के कर राजस्व के		14.80	16.30
ग.	करेतर राजस्व के		9.45	15.33
घ.	कुल व्यय के		15.84	17.22
ङ.	पूंजीगत व्यय के		14.53	11.93
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के		16.86	20.77
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के		18.43	20.98
ज.	वेतन एवं मजदूरी के		14.89	14.45
झ.	पेंशन के		17.17	18.85

स्रोत: वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं

* जिनी कोएफीशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट मूल्य कम असमानता को दर्शित करता है। (2009–10 के लिये उपलब्ध अद्वतन आंकड़ों को अंगीकृत किया गया है)

⁴⁶ अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार

⁴⁷ आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 154

⁴⁸ आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 149

⁴⁹ आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 156

⁵⁰ आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 (अगस्त 2017), खण्ड II, पृष्ठ ए 146

⁵¹ http://planningcommission.nic.in/data//datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.

⁵² भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001–2026 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001–2026 को लिंग अनुसार कुल आबादी का प्रक्षेपण)

परिशिष्ट 1.2 (भाग—क)
सरकारी लेखों की संरचना
(bंदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखा: प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन—देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उच्चत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ख)
वित्त लेखों की रूपरेखा
(bंदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग—1 सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण और भाग—2 इनके विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता है। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग—2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शोषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूँजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन—देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण					
2015-16	2016-17	2015-16	2016-17					
योग	योग	योग	आयोजनेतर	आयोजना	योग			
भाग—क: राजस्व								
1,05,510.60	I.	राजस्व प्राप्तियाँ	1,23,306.79	99,770.70	राजस्व व्यय	73,267.74	46,269.63	1,19,537.37
40,213.66		-कर राजस्व	44,193.65	25,700.26	सामान्य सेवाएं	27,454.36	448.76	27,903.12
				42,650.93	सामाजिक सेवाएं	22,511.44	25,430.99	47,942.43
8,568.79		-करेतर राजस्व	9,086.51	17,054.74	-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	15,386.43	5,757.21	21,143.64
				5,228.02	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,925.59	2,449.98	5,375.57
38,397.84		-संघ करों में राज्य का भाग	46,064.10	6,273.97	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,783.69	9,398.56	11,182.25
3,990.10		-आयोजनेतर अनुदान	5,472.39	187.30	-सूचना एवं प्रसारण	333.76	7.74	341.50
				2,968.06	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	422.57	2,672.48	3,095.05
13,370.61		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	17,701.96	279.52	-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	207.04	83.49	290.53
				10,520.18	-समाज कल्याण एवं पोषण	1,284.90	5,047.96	6,332.86
969.60		-केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	788.18	139.14	-अन्य	167.46	13.57	181.03
				25,528.52	आर्थिक सेवाएं	17,847.51	19,037.22	36,884.73
				7,476.06	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3,850.87	6,460.25	10,311.12
				6,107.82	-ग्रामीण विकास	2,605.99	6,211.66	8,817.65
				630.45	-सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	631.13	56.48	687.61
				7,218.84	-ऊर्जा	8,390.75	4,085.45	12,476.20
				2,477.30	-उद्योग एवं खनिज	1,033.65	1,813.29	2,846.94
				1,209.49	-परिवहन	1,244.95	--	1,244.95
				210.50	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7.70	216.26	223.96
					-सामान्य आर्थिक सेवाएं	82.47	193.83	276.30
				198.06	सहायता अनुदान एवं अंशादान	5,454.43	1,352.66	6,807.09
	II.	भाग ख में अग्रेनीत राजस्व घाटा		5,890.99	भाग ख में अग्रेनीत राजस्व अधिशेष			3,769.42
1,05,510.60		योग	1,23,306.79	1,05,510.60	योग			1,23,306.79

भाग—ख: अन्य

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		
योग		योग	योग	योग		आयोजनेतर	आयोजना	योग
5,401.96	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	10,898.72		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			
26.47	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	24.19	16,835.47	पूँजीगत परिव्यय	129.28	27,159.03	27,288.31
				549.22	सामान्य सेवाएं	42.47	655.37	697.84
				3,024.49	सामाजिक सेवाएं	40.28	3,244.88	3,285.16
				758.32	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	--	736.97	736.97
				226.06	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.19	563.50	564.69
				1,527.41	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	39.05	1,072.58	1,111.63
				--	-सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				409.21	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	549.83	549.83
				57.81	-समाज कल्याण एवं पोषण	0.04	203.81	203.85
				45.68	-अन्य सामाजिक सेवाएं	--	118.19	118.19
				13,261.76	आर्थिक सेवाएं	46.54	23,258.77	23,305.31
				117.20	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	--	693.31	693.31
				2,418.78	-ग्रामीण विकास	--	3,169.35	3,169.35
				6,372.70	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	44.54	8,425.96	8,470.50
				549.69	-ऊर्जा	2.00	4,664.56	4,666.56
				247.69	-उद्योग एवं खनिज	--	1,515.34	1,515.34
				3,377.04	-परिवहन	--	4,671.99	4,671.99
				1.30	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	5.00	5.00
				177.36	-सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	113.26	113.26
162.32	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	772.05	3,157.91	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	3,588.86	1,351.41	4,940.27
				2,595.20	-बिजली परियोजनाओं के लिए	3,162.56	--	3,162.56
				256.70	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिये	373.95	813.12	1,187.07
				259.00	उद्योग तथा खनिज के लिये	--	513.29	513.29
0.03		-सरकारी कर्मचारियों से		-	-सरकारी कर्मचारियों को	0.10	--	0.10
162.29		-अन्यों से		47.01	-अन्यों को	52.25	25.00	77.25
1.93	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.01	1.94	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	--	--	0.66

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		
योग		योग		योग		आयोजनेतर	आयोजना	योग
5,739.90	VII	अधोनीत राजस्व अधिशेष	3,769.42	--	अधोनीत राजस्व घाटा	--	--	
19,985.30	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	29,847.41	4,860.36	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	--	--	4,925.41
18,659.18		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण		3,948.42	-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	3,907.83
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन						
1,326.12		-केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		911.94	-केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			1,017.58
--	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग			--
1.08	X	आकस्मिकता निधि को अंतरिक राशि	--	--	आकस्मिकता निधि से व्यय			--
1,32,772.19	XI	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,61,078.58	1,28,336.75	लोक लेखा संवितरण			1,58,242.07
3,498.21		-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ	3,486.38	2,473.70	-अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ			2,673.71
2,719.07		-आरक्षित निधियाँ	3,701.34	986.05	-आरक्षित निधियाँ			4,199.61
87,337.99		-उचंत तथा विविध	1,08,731.65	85,881.02	-उचंत तथा विविध			1,09,573.88
15,867.66		- प्रेषण	18,063.48	16,220.77	-प्रेषण			18,135.36
23,349.26		-जमा एवं अग्रिम	27,095.73	22,775.21	-जमा एवं अग्रिम			23,659.51
--	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		10,898.72	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष			10,993.66
					-खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
				1,009.49	-रिजर्व बैंक में जमा			-52.99 ⁵³
				1.78	-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			2.01
				9,887.45	-रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			11,044.64
1,64,091.15		योग	2,06,390.38	1,64,091.15	योग			2,06,390.38

⁵³ मार्च 2017 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 52.99 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 417.92 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 364.93 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.4
2016–17 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना
(संदर्भ: कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें स्वयं के कर राजस्व	1,26,095 46,500	1,23,307 44,194	-2,788 -2,306	-2.21 -4.96
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,000	22,561	561	2.55
राज्य उत्पाद शुल्क	9,000	7,533	-1,467	-16.30
वाहन कर	2,500	2,252	-248	-9.92
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,500	3,925	-575	-12.78
माल तथा यात्री कर	4,200	3,805	-395	-9.40
भू—राजस्व	500	407	-93	-18.60
अन्य कर	3,800	3,711	-89	-2.34
करेतर राजस्व	11,482	9,086	-2,396	-20.87
ब्याज प्राप्तियाँ	273	582	309	113.19
विविध सामान्य सेवाएं	226	115	-111	-49.12
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,450	3,168	-282	-8.17
अन्य करेतर राजस्व	7,533	5,221	-2,312	-30.69
संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	43,676	46,064	2,388	5.47
भारत सरकार से सहायता अनुदान	24,437	23,963	-474	-1.94
राजस्व व्यय, जिसमें	1,22,585	1,19,537	-3,048	-2.49
सामान्य सेवाएं	32,909	27,903	-5,006	-15.21
समाजिक सेवाएं	53,951	47,942	-6,009	-11.14
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	26,694	21,143	-5,551	-20.79
समाज कल्याण एवं पोषण	6,949	6,333	-616	-8.86
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,015	3,095	-920	-22.91
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,694	5,375	-1,319	-19.70
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	8,804	11,182	2,378	27.01
सूचना एवं प्रसारण	203	342	139	68.47
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	369	291	-78	-21.14
अन्य	223	181	-42	-18.83
आर्थिक सेवाएं	29,765	36,885	7,120	23.92
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	8,371	10,311	1,940	23.18
ग्रामीण विकास	8,765	8,818	53	0.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	815	688	-127	-15.58
ऊर्जा	6,744	12,476	5,732	84.99
उद्योग एवं खनिज	2,694	2,847	153	5.68
परिवहन	1,714	1,245	-469	-27.36
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	178	224	46	25.84
सामान्य आर्थिक सेवाएं	484	276	-208	-42.98
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,960	6,807	847	14.21
पूँजीगत व्यय, जिसमें	30,746	27,288	-3,458	-11.25
सामान्य सेवाएं	572	698	126	22.03
समाजिक सेवाएं	5,016	3,285	-1,731	-34.51
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,191	737	-454	-38.12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	460	564	104	22.61
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,377	1,112	-1,265	-53.22
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	749	550	-199	-26.57

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
समाज कल्याण एवं पोषण	119	204	85	71.43
अन्य सामाजिक सेवाएं	120	118	-2	-1.67
आर्थिक सेवाएं	25,158	23,305	-1,853	-7.37
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	763	693	-70	-9.17
ग्रामीण विकास	2,651	3,169	518	19.54
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,478	8,471	993	13.28
ऊर्जा	8,889	4,667	-4,222	-47.50
उद्योग एवं खनिज	926	1,515	589	63.61
परिवहन	4,341	4,672	331	7.62
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	5	5	0	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	105	113	8	7.62
राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	(+)3,510	(+)7,781⁵⁴	(+)4,271	121.68
राजकोषीय घाटा (-)	(-)24,914	(-)20,304 ⁵⁴	(+)4,610	18.50
प्राथमिक अधिशेष (+) / घाटा (-)	(-)14,680	(-)11,225⁵⁴	(+)3,455	23.54

(स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट पुस्तिकार 2016–17)

⁵⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर

परिशिष्ट 1.5

श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट (₹ एक करोड़ या अधिक) की उपयोगिता में कमी का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 1.1.4; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)					
श्रेणी-1					
1	1405—उदिता योजना	4.44	3.42	1.02	22.97
2	5643—आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	302.96	279.88	23.08	7.62
3	6392—राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला)	171.64	168.31	3.33	1.94
4	6917—इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	55.77	49.79	5.98	10.72
5	9248—किशोरी शक्ति योजना	3.30	0.00	3.30	100
श्रेणी-2					
6	1291—पोषण स्तर के सुधार हेतु परियोजना एवं बाल विकास सेवाओं का सशक्तीकरण	42.46	31.80	10.66	25.11
7	5094—मंगल दिवस	22.96	19.22	3.74	16.29
8	5211—आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास	10.00	2.25	7.75	77.50
9	5360—आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (तेरहवां वित्त आयोग)	31.92	26.82	5.10	15.98
10	5360—आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (मनरेगा)	2.00	0.00	2.00	100
11	6442—अटल बाल आरोग्य मिशन	51.35	38.10	13.25	25.80
12	0658—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	1,002.30	937.84	64.46	6.43
13	7700—मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	1.46	0.05	1.41	96.58
14	8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	3.25	1.69	1.56	48
15	9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	1,217.86	1,209.16	8.70	0.71
16	9041—संचालनालय महिला एवं बाल कल्याण	8.53	6.98	1.55	18.17
17	9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	3.38	1.79	1.59	47.04
आयुक्त, महिला सशक्तिकरण					
श्रेणी-1					
1	1204—बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान	2.88	0.95	1.93	67.01
2	5033—जबली योजना (वेश्या उन्मूलन योजना)	31.91	1.07	30.84	96.65
3	5063—घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र	2.39	1.31	1.08	45.19
4	5067—लाडली लक्ष्मी योजना	898.39	889.88	8.51	0.95
5	6740—बेटी बचाओ अभियान	5.71	3.90	1.81	31.70
6	7698—शोर्प दल	5.20	3.73	1.47	28.27
7	1071—महिला हेल्प लाईन 181	3.00	0.00	3.00	100
8	1327—वन स्टॉप केंद्र	3.82	1.44	2.38	62.30
9	3457—मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	1.68	0.62	1.06	63.10
श्रेणी-2					
10	6647—महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना	21.73	20.03	1.70	7.82
11	6103—एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	44.49	36.18	8.31	18.68
12	7700—मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना	4.77	3.14	1.63	34.17
13	1422—ग्राम कन्चसर्जन्स एवं सुविधा सेवा (व्ही.सी.एफ.एस.)	2.84	0.00	2.84	100

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.6
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिकाएं 1.2.2; पृष्ठ 9)

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	70,427	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307
(i) कर राजस्व	30,582(43)	33,552(44)	36,567(41)	40,214(38)	44,194(36)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,856(49)	16,650(50)	18,136(50)	19,806(49)	22,561(51)
राज्य उत्पाद शुल्क	5,078(17)	5,907(18)	6,695(18)	7,923(20)	7,533(17)
वाहन कर	1,531(5)	1,599(5)	1,824(5)	1,933(5)	2,252(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,944(13)	3,400(10)	3,893(11)	3,868(10)	3,925(9)
भू-राजस्व	444(1)	366(1)	243(1)	277(1)	407(1)
माल तथा यात्री कर	2,395(8)	2,579(8)	2,686(7)	3,085(8)	3,805(9)
अन्य कर	2,334(8)	3,051(9)	3,090(8)	3,322(8)	3,711(8)
(ii) करेतर राजस्व	7,000(10)	7,705(10)	10,375(12)	8,569(8)	9,086(7)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	20,805(30)	22,715(30)	24,107(27)	38,398(37)	46,064(37)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,040(17)	11,777(16)	17,592(20)	18,330(17)	23,963(20)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	31	36	28	26	24
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	9	2	1	2	0
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	33	93	6,765	162	772
4. कुल राजस्व तथा क्रमेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	70,500	75,880	95,435	1,05,701	1,24,103
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	8,791	9,541	15,069	19,985	29,847
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	7,234	8,328	13,696	18,659	28,581
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,557	1,212	1,372	1,326	1,266
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	79,291	85,421	1,10,504	1,25,686	1,53,950
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	--	300	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	86,248	94,811	1,10,295	1,32,772	1,61,079
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,65,539	1,80,232	2,21,099	2,58,458	3,15,029
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	62,968(79)	69,870(81)	82,373(77)	99,771(83)	1,19,537(79)
आयोजना	18,349(29)	19,427(28)	26,515(32)	31,452(32)	46,270(39)
आयोजनेतर	44,619(71)	50,443(72)	55,858(68)	68,319(68)	73,267(61)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	17,705(28)	20,591(29)	22,365(27)	25,700(26)	27,903(23)
सामाजिक सेवाएं	24,375(39)	27,768(40)	32,067(39)	42,651(43)	47,942(40)
आर्थिक सेवाएं	16,823(27)	16,972(24)	23,715(29)	25,529(25)	36,885(31)
सहायता अनुदान तथा अंशादान	4,065(6)	4,539(7)	4,226(5)	5,891(6)	6,807(6)
11. पूँजीगत व्यय	11,567(14)	10,813(13)	11,878(11)	16,835(14)	27,288(18)
आयोजना	11,543(100)	10,770(100)	11,821(100)	16,678(99)	27,159(100)
आयोजनेतर	24(0)	43(0)	57(0)	157(1)	129(0)
सामान्य सेवाएं	205(2)	197(2)	258(2)	549(3)	698(3)
सामाजिक सेवाएं	1,621(14)	1,899(17)	2,070(18)	3,024(18)	3,285(12)
आर्थिक सेवाएं	9,741(84)	8,717(81)	9,550(80)	13,262(79)	23,305(85)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	5,378(7)	5,077(6)	12,535(12)	3,158(3)	4,941(3)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	7	2	1	2	1
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	79,920	85,762	1,06,787	1,19,766	1,51,767
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,584	4,005	4,921	4,860	4,925
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,936	3,243	4,084	3,948	3,908
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	648	762	837	912	1,017
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	300	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	83,504	89,767	1,12,008	1,24,626	1,56,692
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	1	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	82,736	93,064	1,08,165	1,28,337	1,58,242
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	1,66,240	1,82,831	2,20,174	2,52,963	3,14,934
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(−) / राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	7,459	5,879	6,268	5,740	7,781 ⁵⁵
22. राजकोषीय घाटा(−) / राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-9,420	-9,882	-11,352	-14,065	-20,304 ⁵⁶
23. प्राथमिक घाटा(−) / अधिशेष(+) (22+24)	-3,846	-3,491	-4,281	-5,974	-11,225 ⁵⁷
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5,574	6,391	7,071	8,091	9,079
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	13,487	14,953	18,668	22,656	32,379
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁵⁸	3,80,924	4,37,737	4,81,982	5,43,975	6,40,484
29. बकाया राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अन्त में)	90,168	96,826	1,08,688	1,27,144	1,55,800
30. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	7,720	9,978	20,124	27,530	33,397
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	14,752	21,472	31,885	40,171	40,395
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	55	201	68	91	242 ⁵⁹
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,413	34,465	14,344	15,477	8,607 ⁵⁹
भाग ड. राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.03	7.66	7.59	7.39	6.90
स्वयं के करेतर राजस्व / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.84	1.76	2.15	1.58	1.42
केन्द्रीय अंतरण ⁶⁰ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.62	7.88	8.65	10.43	10.93

⁵⁵ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹ 3,770 करोड़ होगा

⁵⁶ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹ 27,664 करोड़ होगा

⁵⁷ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹ 18,585 करोड़ होगा

⁵⁸ वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।

⁵⁹ वित्त लेखे 2016-17

⁶⁰ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता (प्रतिशत)	0.93	0.78	1.89	1.91	1.70
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.98	19.59	22.16	22.02	23.70
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	113.48	113.22	120.47	113.51	123.08
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	78.79	81.47	77.14	83.30	78.76
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	22.47	24.24	21.18	21.93	18.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	32.69	34.67	31.98	38.16	33.80
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	39.75	35.79	42.88	34.99	42.86
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	14.47	12.61	11.12	14.06	17.98
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	14.22	12.37	10.88	13.60	17.52
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.96	1.34	1.30	1.06	1.21 ⁶¹
राजकोषीय घाटा(−)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.47	-2.26	-2.36	-2.59	-3.17 ⁶¹
प्राथमिक घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.01	-0.80	-0.89	-1.10	-1.75 ⁶¹
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.07	14.50	15.62	16.85	17.25
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.67	22.12	22.55	23.37	24.33*
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	128.03	127.82	122.62	120.50	126.35
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)	231.50 (1.02)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	14,101	17,069	19,616	22,851	31,550
वित्तीय परिस्मत्तियाँ/देयताएं	0.67	0.63	0.62	0.63	0.68

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के गोगों को तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

* उदय के प्रभाव को शामिल कर

परिशिष्ट 1.6 हैतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट 1.3 में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मद्दें अथवा प्राप्ति योग्य मद्दें अथवा मद्दें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- मार्च 2017 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 52.99 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 417.92 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹ 364.93 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।

⁶¹ उदय के प्रभाव को छोड़कर

परिशिष्ट 1.7

(क) स्वयं के कर राजस्व 2012–17
(संदर्भ: कंडिकाएं 1.2.2.1; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
विक्री, व्यापार आदि पर कर	14,856	16,650	18,136	19,806	22,000	22,561
राज्य उत्पाद शुल्क	5,078	5,907	6,695	7,923	9,000	7,533
वाहन कर	1,531	1,599	1,824	1,933	2,500	2,252
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,944	3,400	3,893	3,868	4,500	3,925
भू-राजस्व	444	366	243	277	500	407
माल तथा यात्री पर कर	2,395	2,579	2,686	3,085	4,200	3,805
अन्य कर	2,334	3,051	3,090	3,322	3,800	3,711
योग (क)	30,582	33,552	36,567	40,214	46,500	44,194

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2016–17)

(ख) करेतर राजस्व 2012–17

(संदर्भ: कंडिकाएं 1.2.2.1; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	320	697	1,341	559	382	813
सामान्य सेवाएं	444	598	594	1,279	753	664
सामाजिक सेवाएं	1,855	2,197	3,696	1,784	4,508	2,338
आर्थिक सेवाएं	4,381	4,213	4,744	4,947	5,839	5,271
योग (ख)	7,000	7,705	10,375	8,569	11,482	9,086
महायोग (क+ख)	37,582	41,257	46,942	48,783	57,982	53,280

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2016–17)

परिशिष्ट 1.8
**31 मार्च 2017 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी
साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति**
(संदर्भ: कंडिका 1.4.6; पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजना/ पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1,082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	1	125.00	1	249.92	0	0.00	0	0.00
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1,185.13	5	1,185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	लोक निर्माण कार्य	127	14,553.14	2	362.77	7	32.47	30	5,429.74	88	8,728.16
12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	1	63.71	1	63.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
14	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
15	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
16	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00	0	0.00
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास	31	2,828.31	21	2,385.76	1	13.94	4	145.83	5	282.78
योग		198	23,707.40	41	5,591.08	15	556.35	42	8,096.33	100	9,463.64

(चोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 1.9**31 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति**
(संदर्भ: कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 25)

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2017 की स्थिति में
83,718.44	आन्तरिक ऋण—	1,08,391.34
56,140.26	ब्याज सहित बाजार कर्ज	70,691.23
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
62.70	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	52.75
7,333.75	अन्य संरथाओं से कर्ज	16,199.64
20,181.34	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	21,447.31
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
13,668.01	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—	13,917.10
1.88	1984–85 से पूर्व के कर्ज	1.88
39.16	आयोजनेतर कर्ज	35.51
13,626.97	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	13,879.71
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
13,682.37	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	14,493.19
8,345.83	जमा	11,781.18
8,132.00	आरक्षित निधियां	7,633.73
2,047.61	उचन्त तथा विविध शेष	1,215.59
956.14	प्रेषण शेष	884.26
1,31,050.40	योग	1,58,816.39
	परिसम्पत्तियां	
1,27,147.75	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय—	1,54,388.76
16,599.57	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	22,671.87
1,10,548.18	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,31,716.89
40,837.49	कर्ज तथा अग्रिम	44,995.50
34,009.75	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	36,964.31
6,799.07	अन्य विकास कर्ज	8,005.30
28.67	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	25.89
4.80	अग्रिम	3.93
--	प्रेषण शेष	--
10,898.72	रोकड़—	10,993.66
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
1,009.49	रिजर्व बैंक में जमा	-52.99
1.78	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	2.01
9,485.24	रोकड़ शेष निवेश	10,628.22

31.03.2016 की स्थिति में	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2017 की स्थिति में
402.21	आरक्षित निधि निवेश	416.42
-47,838.36	सरकारी लेखाओं में घाटा—	-51,565.46
-5,739.90	(i) चालू वर्ष के राजस्व अधिशेष को घटा कर	-3,769.42
0.01	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.65
6.99	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	10.21
4.89	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	31.46
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-42,110.35	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-47,838.36
1,31,050.40	योग	1,58,816.39

परिशिष्ट 1.10
आरक्षित निधियों का विवरण
(bसंदर्भ: कंडिका 1.5.2; पृष्ठ 25)

(₹ लाख में)

विवरण	आरभिक शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
2014-15				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	10,246.44	1,02,817.00	1,02,817.00	10,246.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10,246.44	1,02,817.00	1,02,817.00	10,246.44
योग	10,246.44	1,02,817.00	1,02,817.00	10,246.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	541.68	43.39	0.00	585.07
101-सूखा राहत निधि	578.19	13.91	0.00	592.10
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	(-36.51)	29.48	-	(-)7.03
8226-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	440.37	23.21	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	440.37	23.21	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,276.03	13.07	-	2,289.10
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,150.24	13.07	-	3,163.31
102-राजस्व आरक्षित निधियां-निवेश लेखे	(-874.21)	-	-	(-)874.21
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	5,71,885.22	14,079.22	-	5,85,964.44
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि-निधि लेखा-निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	85,974.65	6,820.00	-	92,794.65
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,57,688.93	-	-	2,57,688.93
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,28,191.73	7,259.22	-	2,35,450.95
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	249.94	249.94	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,207.84	249.94	-	39,457.78
120- प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश लेखा	(-)39,207.84	-	249.94	(-)39,457.78
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां-निवेश लेखा	(-)0.79	-	-	(-)0.79
योग	5,75,145.51	14,408.83	249.94	5,89,304.40
महायोग	5,85,391.95	1,17,225.83	1,03,066.94	5,99,550.84
2015-16				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
योग	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	585.07	13.08	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.10	0.71	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	(-)7.03	12.37	-	(-)5.34
8226-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,289.10	120.17	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,163.31	6.53	-	3,169.84

विवरण	आरभिक शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
102-राजस्व आरक्षित निधियां—निवेश लेखे	(-874.21)	113.64	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	5,85,964.44	1,17,400.14	10,905.00	6,92,459.58
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा—निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	92,794.65	49,019.75	10,815.00	1,30,999.40
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,57,688.93	63,500.52	90.00	3,21,099.45
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,35,450.95	4,879.87	-	2,40,330.82
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	-	-	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	-	-	39,457.78
120- प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश लेखा	(-)39,457.78	-	-	(-)39,457.78
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां—निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग	5,89,304.40	1,17,533.39	10,905.00	6,95,932.79
महायोग	5,99,550.84	2,72,033.39	98,605.00	7,72,979.23

2016-17

आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
योग	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	598.15	-	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.81	-	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	-5.34	-	-	-5.34
8226-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,409.27	-	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,169.84	-	-	3,169.84
102-राजस्व आरक्षित निधियां—निवेश लेखे	(-)760.57	-	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	6,92,459.58	89,033.15	1,40,281.40	6,41,211.33
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा—निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	1,30,999.40	31,313.35	6,584.10	1,55,728.65
114- खान (mines) कल्याण निधि	3,21,099.45	57,719.80	1,30,347.07	2,48,472.18
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,40,330.82	-	3,350.23	2,36,980.59
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	1,420.72	1,420.72	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	1,420.72	-	40,878.50
120- प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश लेखा	(-)39,457.78	-	1,420.72	(-)40,878.50
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां—निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग	6,95,932.79	90,453.87	1,41,702.12	6,44,684.54
महायोग	7,72,979.23	3,70,133.87	4,21,382.12	7,21,730.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 2.1

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
 (संदर्भ: कंडिका 2.2.1; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
2003-04	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूँजीगत (दत्तमत): 35, 94	2.54
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूँजीगत (प्रभारित): 23	
2004-05	13 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 24, 59, 67, 92, 94 पूँजीगत (दत्तमत): 6, 19, 30, 59, 66, 78, 84, 86	83.66
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 67 पूँजीगत (प्रभारित): 45	
2005-06	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 24, 67 पूँजीगत (दत्तमत): 6, 39	37.58
	02 विनियोग	पूँजीगत(प्रभारित): 21, 45	
2008-09	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62 पूँजीगत (दत्तमत): 43	5.80
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24 पूँजीगत (प्रभारित): 24	
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूँजीगत (प्रभारित): 24	12.62
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूँजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूँजीगत (प्रभारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूँजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 02 पूँजीगत (दत्तमत): 10	34.32
	01 विनियोग	पूँजीगत (प्रभारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 02, 06 पूँजीगत(दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूँजीगत (प्रभारित): 41	
योग	32 अनुदान एवं 19 विनियोग		758.14

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कड़िका 2.2.2; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	9,105.63	4,180.22	45.91
2	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	83.28	38.59	46.34
3	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	11,305.93	2,352.81	20.81
4	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	179.81	169.64	94.34
5	07	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2,612.12	902.84	34.56
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1,272.45	303.20	23.83
7	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	57.65	16.42	28.47
8	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	17.22	17.22	100
9	12	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	10,203.14	2,847.17	27.90
10	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	4,161.22	1,113.97	26.77
11	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	3,235.86	762.58	23.57
12	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	113.49	110.87	97.69
13	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	83.83	25.11	29.95
14	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	1,531.13	530.31	34.64
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत)	4,328.66	891.17	20.59
16	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)	854.74	436.41	51.06
17	21	लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	131.63	86.46	65.68
18	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (राजस्व दत्तमत)	3,648.49	1,446.11	39.64
19	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूँजीगत दत्तमत)	659.78	470.32	71.28
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूँजीगत प्रभारित)	10.00	10.00	100
21	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1,678.92	473.08	28.18
22	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (पूँजीगत प्रभारित)	50.00	20.44	40.88
23	26	संस्कृति (पूँजीगत दत्तमत)	35.30	14.64	41.47
24	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	334.13	110.37	33.03
25	28	राज्य विधान मंडल (राजस्व दत्तमत)	87.16	18.09	20.75
26	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	922.21	218.45	23.69
27	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	124.24	36.04	29.01

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
28	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	284.48	190.17	66.85
29	33	आदिम जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1,757.42	400.79	22.81
30	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	270.15	80.97	29.97
31	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	81.65	18.30	22.41
32	38	आयुष (पूँजीगत दत्तमत)	42.18	25.99	61.62
33	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	2,068.88	439.16	21.23
34	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूँजीगत दत्तमत)	158.50	110.15	69.50
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	6,738.59	2,224.11	33.01
36	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	5,961.48	2,630.96	44.13
37	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	1,119.97	449.30	40.12
38	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	2,210.76	569.20	25.75
39	44	उच्च शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	158.93	51.23	32.23
40	49	अनुसूचित जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	100.13	22.59	22.56
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	684.06	185.43	27.11
42	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	64.85	63.37	97.72
43	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1,047.41	379.51	36.23
44	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	201.47	201.47	100
45	56	ग्रामोद्योग (राजस्व दत्तमत)	274.10	91.28	33.30
46	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें (पूँजीगत दत्तमत)	35.54	13.41	37.74
47	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	425.97	91.75	21.54
48	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	4,714.92	1,028.15	21.81
49	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	4,701.86	2,009.64	42.74
50	67	लोक निर्माण कार्य—भवन (राजस्व दत्तमत)	662.73	164.28	24.79
51	67	लोक निर्माण कार्य—भवन (पूँजीगत दत्तमत)	286.93	96.78	33.73
52	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	115.86	62.86	54.26
53	72	भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास (राजस्व दत्तमत)	105.73	22.19	20.99

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
54	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	20.49	13.53	66.03
55	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	174.01	171.87	98.77
56	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	10.00	10.00	100
योग			91,307.07	29,420.97	32.22

(स्रोत: 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कड़िका 2.2.2; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
राजस्व—दत्तमत							
1	06—वित्त	11,304.43	1.50	11,305.93	8,953.12	2,352.81	20.81
2	07—वाणिज्यिक कर	2,607.20	4.92	2,612.12	1,709.28	902.84	34.56
3	08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,255.74	16.71	1,272.45	969.25	303.20	23.83
4	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,877.88	2,283.34	4,161.22	3,047.25	1,113.97	26.77
5	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,945.77	1,290.09	3,235.86	2,473.28	762.58	23.57
6	17—सहकारिता	670.88	860.25	1,531.13	1,000.82	530.31	34.64
7	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,328.66	सांकेतिक	4,328.66	3,437.49	891.17	20.59
8	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2,734.95	913.54	3,648.49	2,202.39	1,446.10	39.64
9	24—लोक निर्माण कार्य-सङ्केतों और पुल	1,678.92	सांकेतिक	1,678.92	1,205.84	473.08	28.18
10	29—विधि और विधायी कार्य	848.70	73.51	922.21	703.76	218.45	23.69
11	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	284.02	0.46	284.48	94.31	190.17	66.85
12	33—आदिम जाति कल्याण	1,757.42	0.00	1,757.42	1,356.62	400.80	22.81
13	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2,068.88	नगण्य	2,068.88	1,629.72	439.16	21.23
14	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,751.77	986.82	6,738.59	4,514.48	2,224.11	33.01
15	44—उच्च शिक्षा	2,210.63	0.13	2,210.76	1,641.56	569.20	25.75
16	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	502.52	181.54	684.06	498.64	185.42	27.11
17	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	928.54	118.87	1,047.41	667.89	379.52	36.23
18	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	4,201.75	513.17	4,714.92	3,686.77	1,028.15	21.81
19	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	651.73	11.00	662.73	498.45	164.28	24.79
20	76—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	174.01	0.00	174.01	2.13	171.88	98.78
पूँजीगत—दत्तमत							
21	06—वित्त	179.81	0.00	179.81	10.17	169.64	94.34
22	12—ऊर्जा	9,640.43	562.71	10,203.14	7,355.97	2,847.17	27.90
23	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	113.49	0.00	113.49	2.61	110.88	97.70
24	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	854.74	नगण्य	854.74	418.33	436.41	51.06

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
25	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	659.78	0.00	659.78	189.47	470.31	71.28
26	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	334.13	0.00	334.13	223.77	110.36	33.03
27	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	123.50	35.00	158.50	48.35	110.15	69.50
28	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,277.56	683.92	5,961.48	3,330.52	2,630.96	44.13
29	42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1,119.97	सांकेतिक	1,119.97	670.67	449.30	40.12
30	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	201.47	0.00	201.47	0.00	201.47	100
31	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	4,390.52	311.34	4,701.86	2,692.22	2,009.64	42.74
पूँजीगत—प्रभारित							
32	पी.डी.—लोक ऋण	9,105.63	0.00	9,105.63	4,925.41	4,180.22	45.91
	योग	79,785.43	8,848.82	88,634.25	60,160.54	28,473.71	32.12

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.4
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान
(संदर्भ: कंडिका 2.2.3; पृष्ठ 35)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राजस्व—दत्तमत						
1	09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	11.08 (21.22)	18.22 (29.99)	21.08 (31.41)	25.13 (41.32)	16.42 (28.47)
2	16—मछली पालन	12.25 (21.43)	17.77 (26.78)	26.88 (36.15)	19.11 (27.19)	25.11 (29.95)
3	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)	81.14 (54.35)	190.17 (66.85)
4	36—परिवहन	13.91 (21.95)	18.85 (22.51)	71.61 (55.93)	57.01 (46.81)	18.30 (22.42)
5	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	58.75 (24.54)	157.11 (44.31)	140.02 (33.23)	117.38 (20.54)	185.43 (27.11)
राजस्व—प्रभारित						
6	06—वित्त	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)	7.06 (40.86)
पूंजीगत—दत्तमत						
7	06—वित्त	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)	169.64 (94.34)
8	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	13.06 (49.73)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)
9	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)	3.00 (100.00)
10	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	402.54 (23.48)	522.74 (24.23)	785.04 (33.93)	837.73 (27.57)	2,009.64 (42.74)
11	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)
पूंजीगत—प्रभारित						
12	पी.डी.—लोक ऋण	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)	3,912.80 (44.60)	4,180.22 (45.91)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5

योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.2.4; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5059-7.65 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2016	15.30	0.00	15.30	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6957-7.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	32.48	0.00	32.48	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6958-7.39 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	21.63	0.00	21.63	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6960-7.61 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2016	22.83	0.00	22.83	100
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	46.80	0.00	46.80	100
6	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-9124-8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	124.06	0.00	124.06	100
7	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भा.रि.बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और केश बैंलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज	50.00	0.00	50.00	100
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-106-6961-पॉवर बाण्ड-1 (मॉटेक सिंह अहलवालिया समिति द्वारा अनुशंशित ऋण)	133.19	0.00	133.19	100
9	पी.डी.	लोक ऋण	6003-109-6962-हुड़को से प्राप्त ऋण	398.08	0.00	398.08	100
10	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
11	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
12	06	वित्त	2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0224-अन्य व्यय	641.75	0.00	641.75	100
13	06	वित्त	2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	15.45	0.00	15.45	100
14	06	वित्त	2701-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	14.04	0.00	14.04	100
15	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	0.00	50.00	100
16	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	0.00	25.00	100
17	07	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-6001-म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	180.00	0.00	180.00	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
18	07	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-6002-म.प्र. उपकर अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का म.प्र. पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण	450.00	0.00	450.00	100
19	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3427-मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	17.22	0.00	17.22	100
20	10	वन	2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण	50.00	0.00	50.00	100
21	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2036-स्मार्ट मीटरिंग	60.00	0.00	60.00	100
22	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2037-वितरण कंपनियों के ट्रान्सफार्मर की फैल्योर दर घटाने हेतु उन्नयन योजना	73.00	0.00	73.00	100
23	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंश पूँजी में परिवर्तन	5,000.00	0.00	5,000.00	100
24	14	पशुपालन	2403-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6998-पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	33.55	0.00	33.55	100
25	14	पशुपालन	2403-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2088-चारा उत्पादन कार्यक्रम	10.00	0.00	10.00	100
26	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)- 7628- सभी परियोजनाओं में सेवा का क्रियान्वयन	38.78	0.00	38.78	100
27	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-800-0701-केन्द्र प्रवार्तित योजना सामान्य- 9039-ई-डिस्टिक्ट का क्रियान्वयन	37.00	0.00	37.00	100
28	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	10.00	0.00	10.00	100
29	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 2043-मेट्रो रेल	152.00	0.00	152.00	100
30	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7711-एम.पी. अर्बन डेहलपमेंट प्रोजेक्ट	20.00	0.00	20.00	100
31	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	24.80	0.00	24.80	100
32	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 2043-मेट्रो रेल	200.00	0.00	200.00	100
33	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7711-एम.पी. अर्बन डेहलपमेंट प्रोजेक्ट	40.00	0.00	40.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
34	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	10.00	0.00	10.00	100
35	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2066-सोलर लाइट	10.00	0.00	10.00	100
36	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2067-ड्रिंकिंग वाटर	15.00	0.00	15.00	100
37	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2072-100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
38	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7592-शालाओं में शोचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	10.00	0.00	10.00	100
39	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-1286-सांख्यिकी अनुदान	41.29	0.00	41.29	100
40	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7383-आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	66.00	0.00	66.00	100
41	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1285-आधारभूत सर्वेक्षण (वेस लाइन सर्वे)-	40.00	0.00	40.00	100
42	37	पर्यटन	5452-01-101-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7404-अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन सेन्टर भोपाल की निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
43	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	17.00	0.00	17.00	100
44	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5776-सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	13.50	0.00	13.50	100
45	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7748-अम्बेला स्कीम	59.16	0.00	59.16	100
46	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	52-ग्रामोद्योग विभाग 2851-796-107-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	20.50	0.00	20.50	100
47	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	59-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग 2401-796-119-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	12.07	0.00	12.07	100
48	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2051- विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंश पूँजी में परिवर्तन	1,500.00	0.00	1,500.00	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
49	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13—ऊर्जा विभाग 6801—796—190—1202— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं—(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—1284—पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.—3)	60.00	0.00	60.00	100
50	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	34—लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग 4215—01—796—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उप योजना)—1323—जायका से प्राप्त ऋण से जल योजनाओं का निर्माण	48.00	0.00	48.00	100
51	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	38—उच्च शिक्षा विभाग 4202—01—796—203—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—7464— मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	20.00	0.00	20.00	100
52	44	उच्च शिक्षा	2202—03—103—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—7464— मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	139.00	0.00	139.00	100
53	44	उच्च शिक्षा	4202—01—203—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—7464—मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	54.00	0.00	54.00	100
54	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)- 7469—राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	10.08	0.00	10.08	100
55	48	नर्मदा घाटी विकास	4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)- 1406—काली सिंध परियोजना	10.00	0.00	10.00	100
56	52	आदिवासी क्षेत्र ¹ उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22—पंचायत विभाग 2515—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—1213— प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	11.80	0.00	11.80	100
57	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग 2217—05—789—191—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना—6221—इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	70.00	0.00	70.00	100
58	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4217—60—789—800—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—2043—मेट्रो रेल	10.00	0.00	10.00	100
59	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4217—60—789—800—1203— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—7336—एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्पूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	27.44	0.00	27.44	100
60	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217—60—789—800—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)—2043—मेट्रो रेल	90.00	0.00	90.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
61	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	64.03	0.00	64.03	100
62	55	महिला एवं बाल विकास	2236-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1292-मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम	167.77	0.00	167.77	100
63	56	ग्रामोद्योग	2851-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	40.33	0.00	40.33	100
64	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	09-खेल एवं युवक कल्याण विभाग 2204-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना-2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	12.60	0.00	12.60	100
65	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5776-सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	11.50	0.00	11.50	100
66	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	29-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 2408-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7749- अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राही को पाँच लीटर की कुप्पी उपलब्ध कराने की योजना	10.70	0.00	10.70	100
67	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	38-उच्च शिक्षा विभाग 2202-03-789-103-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7464- मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	0.00	10.00	100
68	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0803- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (एस.सी.एस.पी.)-7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	30.00	0.00	30.00	100
69	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-2035-अस्थायी पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तन करने की योजना	24.00	0.00	24.00	100
70	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूँजी में परिवर्तन	1,068.00	0.00	1,068.00	100
71	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	70.00	0.00	70.00	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
72	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13—ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	40.00	0.00	40.00	100
73	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	38—उच्च शिक्षा विभाग 4202-01-789-203-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7464— मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	0.00	30.00	100
74	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	2059-01-053-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220-शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय	11.00	0.00	11.00	100
75	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	4210-03-105-0101-राज्य अयोजना (सामान्य)- 6591-जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	30.00	0.00	30.00	100
76	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र ^{उपयोजना-6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट} स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	12.70	0.00	12.70	100
77	68	आदिवासी क्षेत्र ^{उपयोजना के अंतर्गत} नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1238- अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	10.00	0.00	10.00	100
78	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5484-समन्वित आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण	20.00	0.00	20.00	100
79	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2505-01-197-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	640.00	0.00	640.00	100
80	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	30.80	0.00	30.80	100
81	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	50.00	0.00	50.00	100
82	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-02-102-0410-ऊर्जा विकास निधि-3220—मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	146.40	0.00	146.40	100
83	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3220—मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	10.01	0.00	10.01	100
योग				16,911.64	0.00	16,911.64	100

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कड़िका 2.2.5; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	01—सामान्य प्रशासन	375.96	323.35	52.61	22.52
2	03—पुलिस	5,136.63	4,684.18	452.45	99.71
3	06—वित्त	11,304.43	8,953.12	2,351.31	1.50
4	07—वाणिज्यिक कर	2,607.20	1,709.28	897.92	4.92
5	08—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,255.75	969.25	286.50	16.71
6	10—वन	1,724.72	1,494.45	230.27	32.13
7	14—पशुपालन	764.18	618.34	145.84	6.00
8	16—मछली पालन	68.93	58.73	10.20	14.90
9	21—लोक सेवा प्रबंधन	126.63	45.16	81.47	5.00
10	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	7,415.76	5,993.91	1,421.85	13.45
11	28—राज्य विधान मंडल	80.91	69.08	11.83	6.25
12	29—विधि और विधायी कार्य	848.71	703.76	144.95	73.51
13	36—परिवहन	79.65	63.34	16.31	2.00
14	37—पर्यटन	141.56	134.40	7.16	7.00
15	38—आयुष	359.95	311.06	48.89	10.45
16	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,751.77	4,514.48	1,237.29	986.82
17	47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	571.19	470.77	100.42	10.52
18	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	502.52	498.64	3.88	181.54
19	51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व	154.67	141.29	13.38	1.26
20	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	928.54	667.89	260.65	118.87
21	55—महिला एवं बाल विकास	2,588.70	2,500.80	87.90	30.12
22	56—ग्रामोद्योग	271.04	182.82	88.22	3.06
23	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	4,201.75	3,686.77	514.98	513.17
24	65—विमानन	22.28	21.85	0.43	4.00
25	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	651.73	498.45	153.28	11.00
26	69—विमुक्ता, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	16.98	9.21	7.77	2.00
27	73—चिकित्सा शिक्षा	641.73	625.95	15.78	41.31
	योग (क)	48,593.87	39,950.33	8,643.54	2,219.72
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
28	12—ऊर्जा	9,640.43	7,355.97	2,284.46	562.71
29	36—परिवहन	52.76	52.44	0.32	9.00

संख्या	अनुदान / विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
30	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	123.50	48.35	75.15	35.00
31	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,277.56	3,330.52	1,947.04	683.92
32	44—उच्च शिक्षा	120.29	107.70	12.59	38.64
33	57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	23.04	22.13	0.91	12.50
34	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	4,390.52	2,692.22	1,698.30	311.33
योग (ख)		19,628.10	13,609.33	6,018.77	1,653.10
ग—राजस्व (प्रभारित)					
35	29—विधि और विधायी कार्य	116.39	88.20	28.19	7.85
योग (ग)		116.39	88.20	28.19	7.85
योग (क+ख+ग)		68,338.36	53,647.86	14,690.50	3,880.67

(चोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.2.5; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	41.36	41.92	44.69	38.59
2	11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	1,357.26	397.32	1,710.56	44.03
3	12—ऊर्जा	6,551.05	6,401.82	12,438.45	514.41
4	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,877.88	2,283.34	3,047.25	1,113.97
5	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,945.77	1,290.09	2,473.28	762.58
6	17—सहकारिता	670.88	860.25	1,000.82	530.31
7	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	489.03	70.00	492.12	66.92
8	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2,734.95	913.54	2,202.39	1,446.11
9	26—संस्कृति	139.43	41.11	157.56	22.98
10	30—ग्रामीण विकास	583.10	125.00	646.71	61.39
11	32—जनसंपर्क	241.82	158.00	382.49	17.33
12	34—सामाजिक न्याय	243.00	27.15	189.18	80.97
13	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1,136.53	453.23	1,551.16	38.59
14	46—विज्ञान और टेक्नालॉजी	169.32	62.22	217.38	14.16
15	52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,869.86	1,418.73	4,368.96	919.63
16	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2,399.25	1,875.85	3,893.77	381.33
17	71—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	229.55	360.00	522.79	66.75
18	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	17,300.43	3,277.43	17,420.70	3,157.16
19	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता योग (क)	6,571.12	733.98	7,015.95	289.15
		48,551.59	20,790.98	59,776.21	9,566.36
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
20	03—पुलिस	197.03	171.90	353.39	15.54
21	21—लोक सेवा प्रबन्धन	6.00	4.00	8.01	1.99
22	23—जल संसाधन	4,147.37	915.20	5,027.04	35.53
23	30—ग्रामीण विकास	1,250.10	952.90	2,088.83	114.17
24	37—पर्यटन	105.00	10.00	112.14	2.86
25	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	109.82	261.27	357.69	13.40
26	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	687.07	100.00	735.73	51.34
27	47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	90.03	10.83	96.65	4.21
28	48—नर्मदा घाटी विकास	1,549.55	359.12	1,581.42	327.25
29	55—महिला एवं बाल विकास	118.24	96.90	203.81	11.33
30	60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	226.04	199.94	334.22	91.76
31	61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	72.00	68.40	119.62	20.78

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
32	73—चिकित्सा शिक्षा योग (ख)	58.11 8,616.36	132.74 3,283.20	168.18 11,186.73	22.67 712.83
ग—राजस्व (प्रभारित)					
33	01—सामान्य प्रशासन	44.31	19.49	46.70	17.10
34	75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता योग (ग) योग (क+ख+ग)	253.06 297.37 57,465.32	137.19 156.68 24,230.86	385.18 431.88 71,394.82	5.07 22.17 10,301.36

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = **71,394.82** – **57,465.32** = **13,929.50**
(सोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
निधियों का अत्यधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कड़िका 2.2.6; पृष्ठ 36)

(₹ करोड में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
1	03	पुलिस	2055-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	(+)49.22	0.00	(-)20.68
2	03	पुलिस	2055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(+)65.66	0.00	(-)14.80
3	05	जेल	2056-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) -5044-जेलों का आधुनिकीकरण	(+)14.62	0.00	(-)1.84
4	07	वणिज्यिक कर	2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना	(+)1.21	0.00	(-)37.82
5	07	वणिज्यिक कर	2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद	(+)40.00	0.00	(-)12.44
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-094-0619-उप संभागीय स्थापना	(+)10.00	0.00	(-)50.72
7	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5704-हाई स्कूलों का सुदृढ़ीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन	(+)4.49	0.00	(-)3.68
8	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2204-800-1084-खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	(+)5.00	0.00	(-)1.07
9	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1408-विस्टान उद्धन सिंचाई परियोजना	(+)18.00	0.00	(-)13.32
10	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(+)36.79	0.00	(-)9.15
11	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) -6831-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+)4.05	0.00	(-)1.90
12	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-6422-सूखा फसल क्षति सहायता	(+)495.82	0.00	(-)2.37
13	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	(+)49.10	0.00	(-)19.79
14	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषक एवं सम्मान	(+)11.19	0.00	(-)2.76
15	03	पुलिस	2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	(-)134.37	(+)7.04	0.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
16	03	पुलिस	2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(-)270.09	(+)9.71	0.00
17	23	जल संसाधन	2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें	(-)11.97	(+)7.12	0.00
18	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6270-जन अभियान परिषद का गठन	(-)14.77	(+)5.00	0.00
19	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल-वरिष्ठ संभाग	(-) 9.52	(+)4.06	0.00
20	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	(-)14.50	(+)3.00	0.00
21	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	(-)177.61	(+)26.03	0.00
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/ क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम-	(-)80.52	(+)1.47	0.00
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	42-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग 4250-796-201-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6952-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	(-)32.04	(+)6.90	0.00
24	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 2065-चौदहवां वित्त आयोग, क्षमता वृद्धि	(-)22.20	(+)2.34	0.00
25	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6378-जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	(-)32.22	(+)3.66	0.00
26	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8284-म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	(-)78.53	(+)83.68	0.00
27	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210-03-105-0101-राज्य अयोजना (सामान्य)- 7296-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(-)18.75	(+)2.66	0.00
28	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-)29.75	(+)3.06	0.00
योग					(+)165.73	(-)192.34

(चोत: वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
2016–17 के दौरान सारभूत समर्पण
(bंदर्भ: कंडिका 2.2.7; पृष्ठ 36)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
1	01	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	42.58	27.67	64.98
2	03	पुलिस	4055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7352-प्रशासकीय भवनों का निर्माण	9.50	9.50	100
3			4055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7356-पुलिस लाइनों का उन्नयन	5.00	5.00	100
4	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1338-मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015	21.80	21.79	99.95
5			2235-60-200-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6072-आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुदान	10.00	5.00	50
6			2235-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7330-आपदा सूचना एवं संचार तकनीकी विकास	1.65	1.60	96.97
7			3454-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-7401-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.)	2.75	2.54	92.36
8	06		4070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5632-जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	48.00	27.94	58.21
9	11		2851-101-0725-औद्योगिक संस्थानों का संधारण	8.00	4.86	60.75
10	12		2801-80-101-2035-अस्थायी पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तित करने की योजना	130.81	130.81	100
11		ऊर्जा	2801-80-101-5607-कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु म.प्र.रा.वि. मं./उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान	397.29	377.29	94.97
12			4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2036-स्मार्ट मीटिंग	60.00	60.00	100
13			4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2037-वितरण कंपनियों के ट्रान्सफार्मर की फेल्यूर दर घटाने हेतु उन्नयन योजना	73.00	73.00	100
14			4801-05-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	100.00	90.50	90.50
15			6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	147.24	122.04	82.88
16	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	40.50	34.18	84.39

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
17			2401-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7499-सब मिशन स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट	51.00	41.48	81.33
18			2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	86.36	78.35	90.72
19			2401-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1227-परंपरागत खेती विकास योजना	41.50	22.08	53.20
20	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7162-ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	18.30	10.95	59.84
21			4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7298-आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल प्रदाय व्यवस्था	18.51	12.36	66.77
22			4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7386-नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना	3.18	3.18	100
23			4215-01-800-1401-नाबार्ड सामान्य-7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	270.00	180.00	66.67
24	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-7628-सभी परियोजनाओं में सेवा का क्रियान्वयन	38.78	38.78	100
25			2053-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-9039-ई-डिस्ट्रिक्ट स्कीम का क्रियान्वयन	37.00	37.00	100
26	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-6440-शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	4.75	3.68	77.47
27			2217-05-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-7336-, एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	50.00	40.00	80
28			2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	1,477.00	1,005.22	68.06
29			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (ए.पी.यू.एस.ई.पी.)	10.00	10.00	100
30			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-2043- मेट्रो रेल	152.00	152.00	100
31			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (सामान्य)-7336-,एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	20.00	19.25	96.25

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
32			4217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	20.00	20.00	100
33			6217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-1262- म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एप्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.)	24.80	24.80	100
34			6217-60-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-2043- मेट्रो रेल	200.00	200.00	100
35			6217-60-800-1201 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	40.00	40.00	100
36			4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	10.00	10.00	100
37	23	जल संसाधन	2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें	22.61	11.97	52.94
38			2701-80-799-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-1051-स्टॉक	1.80	1.80	100
39	26	संस्कृति	2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6042-रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	4.40	2.92	66.36
40			2205-107-4283-संग्रहालय	1.75	1.75	100
41			4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7721-ठेगौर कला संकुल विदिशा	9.00	6.84	76
42			4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7722- ठेगौर कला संकुल खण्डवा	9.00	4.62	51.33
43	27		2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को दृश्यून फीस की प्रतिपूर्ति	60.00	40.00	66.67
44		स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2066-सौलर लाईट	10.00	10.00	100
45			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2067-ड्रिकिंग वाटर	15.00	15.00	100
46			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2068- इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल	20.00	14.67	73.35
47			2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2072-100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण	10.00	10.00	100
48			4202-01-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7592-शालाओं में शौचालयों का निर्माण/ जीर्णोद्धार	10.00	10.00	100
49	29	विधि और विधायी कार्य	2014-114-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9069-महाधिवक्ता	3.37	2.62	77.74

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
			कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण			
50			2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निवाचन प्रभार	9.15	7.27	79.45
51			2015-108-9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	10.03	7.28	72.58
52			2052-090-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9066-विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	2.70	2.48	91.85
53	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8740-जीवनांक संभाग का सुदृढ़ीकरण	2.10	1.87	89.05
54			3454-02-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0512-इण्डियन इकोनॉमिक एसोसिएशन	2.00	2.00	100
55			3454-02-203-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	2.00	2.00	100
56			3454-02-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1286-सांख्यिकी अनुदान	41.29	41.29	100
57			3454-02-800-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-7383-आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	66.00	66.00	100
58			3454-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-1285-आधारभूत सर्वेक्षण	40.00	35.00	87.50
59			2235-60-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6554-समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	1.95	1.08	55.38
60	34	सामाजिक न्याय	2235-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2084-श्रवण वायित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	9.74	5.94	60.99
61			2235-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6689-विकास खण्ड हेतु नवीन पदों का सृजन	3.20	2.25	70.31
62			2235-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6692-मुख्यमंत्री निकाह योजना	10.00	6.70	67
63			3452-01-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6580-होटल प्रबंधन संस्थान, इन्दौर	4.00	2.75	68.75
64	37	पर्यटन	3452-01-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7150-फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, रीवा	1.50	1.30	86.67
65			3452-01-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7152- होटल प्रबंधन संस्थान, भोपाल	1.75	1.08	61.71

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
66	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2401-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7717- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	19.61	17.52	89.34
67			2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	17.45	10.72	61.43
68			2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.98	13.51	90.19
69			2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-8810- सर्व शिक्षा अभियान	971.99	487.39	50.14
70			2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	52.50	51.50	98.10
71			2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	100.00	69.07	69.07
72			2225-02-794-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	13.04	12.49	95.78
73			2225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित -7745-कम्यूनिटी प्रशिक्षण लीडरशिप योजना	14.00	9.00	64.29
74			2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-7748- अम्बेला स्कीम	59.16	59.16	100
75			2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	66.00	49.60	75.15
76			2801-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7211-अनु. जाति/ जनजाति हेतु विद्युतिकरण योजना	82.00	55.73	67.96
77			2235-60-796-193-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	20.00	15.36	76.80
78			2215-01-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-1194- ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	27.20	18.05	66.36
79			2215-01-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-8415- ग्रामीण नल जल योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान	23.97	15.55	64.87

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
80			2851-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	20.50	20.50	100
81			2401-796-119-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	12.07	12.07	100
82			2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	21.87	15.47	70.74
83			2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	15.75	12.17	77.27
84			4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूंजी में परिवर्तन	1,500.00	1,500.00	100
85			4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	100.00	90.50	90.50
86			6801-796-190-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	60.00	60.00	100
87			4225-02-796-102-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना टी.ए.एस.पी.-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	250.92	177.61	70.78
88			4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -0762-कन्या शिक्षा परिसर	30.00	24.80	82.67
89			4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -0978-क्रीड़ा परिसर	50.00	35.28	70.56
90			4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित-5211-आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	102.11	80.52	78.86
91			4701-95-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	40.00	28.90	72.25
92			4202-01-796-203-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 7464— मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	20.00	20.00	100
93	44	उच्च शिक्षा	2202-03-001-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-3753-राष्ट्रीय सेवा योजना	6.80	6.30	92.65

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
94			2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7599-राष्ट्रीय उच्चर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना	2.00	1.95	97.50
95			2202-03-103-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7464—मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	139.00	139.00	100
96			2202-03-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7134-नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ किए जाने हेतु अनुदान	5.00	2.71	54.20
97			4202-01-203-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7464—मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	54.00	45.00	83.33
98			4202-01-203-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)-5870-उच्च शिक्षा उत्कृष्टता मूलक राज्य संस्थान, भोपाल	5.19	5.04	97.11
99	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7490-स्किल डेवलपमेंट मिशन माइल्यूलर इम्प्लायबल	3.20	1.92	60
100			2230-03-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7491-डेव्हलपमेंट सेन्टर एस.डी.सी.	5.40	3.86	71.48
101			2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	1.50	1.50	100
102			2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	1.78	1.21	67.98
103			2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना	1.75	1.68	96
104	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -5131-मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	10.84	5.42	50
105			2515-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना.- 7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	38.40	25.18	65.57
106			2401-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -4326-सघन फलोद्यान विकास योजना	4.68	3.16	67.52

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
107	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6221-इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	70.00	36.10	51.57
108			2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6440-शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	4.60	4.60	100
109			2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6221-इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	23.93	59.82
110			2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना -6221-इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	26.69	66.72
111			2217-05-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी- 1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	225.00	134.46	59.76
112			4217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)	1.00	1.00	100
113			4217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2043-मेट्रो रेल	10.00	10.00	100
114			4217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7336- म.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	27.44	27.44	100
115			6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1262-म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)	9.00	9.00	100
116			6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2043-मेट्रो रेल	90.00	90.00	100
117			6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	64.03	64.03	100
118	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-9248-किशोरी शक्ति योजना	3.30	3.30	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
119			2235-02-103-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-1422-ग्राम कन्वर्सेन्स एवं सुविधा सेवा	2.84	2.84	100
120			4235-02-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5360-आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	1.60	1.60	100
121	56	ग्रामोद्योग	2851-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	40.33	40.33	100
122			4851-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6336-रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	4.68	3.31	70.73
123	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-57-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-2344-निर्माण कार्य	3.00	2.35	78.33
124	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8284-म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	114.73	78.53	68.45
125	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	2401-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	97.12	85.29	87.82
126			2401-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7717 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	18.89	17.71	93.75
127			2401-789-108-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	17.39	12.92	74.30
128			2401-789-113-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.70	9.97	93.18
129			2202-01-789-101-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -5776- सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	11.50	11.50	100
130			2202-01-789-101-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	75.00	45.00	60
131			2215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	17.61	10.44	59.28
132			2215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	15.02	10.04	66.84

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
133			2202-03-789-103-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (एस.सी.एस.पी.)-7464-मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	10.00	100
134			2235-02-789-103-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -5033- वेश्या उन्मूलन योजना	31.57	30.50	96.61
135			2851-789-107-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -6328- उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	9.80	9.80	100
136			2225-01-789-277-0803- केन्द्र क्षेत्रीय योजना एस.सी.एस.पी.-7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	30.00	23.50	78.33
137			2801-06-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -5230- मजरे / टीलों का विद्युतीकरण	54.66	41.31	75.58
138			2801-06-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित-5084-अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास	50.00	30.55	61.10
139			2401-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	16.62	12.56	75.57
140			2401-789-119-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12.00	10.67	88.92
141			4801-05-789-190-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -2035- अस्थायी पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तित करने की योजना	24.00	24.00	100
142			4801-05-789-190-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना -2051- विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूँजी में परिवर्तन	1,068.00	1,068.00	100
143			6801-789-190-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	70.00	70.00	100
144			6801-789-190-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5523- कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	40.00	40.00	100
145			4202-01-789-201-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 8810- सर्व शिक्षा अभियान	66.60	36.35	54.58

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
146			4702-789-800-0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-6708-ए.आई.बी.पी. योजनाएँ	47.87	47.87	100
147			4215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-2580-पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	90.96	51.76	56.90
148			4215-01-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	35.71	21.31	59.68
149			4202-01-789-203-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7464—मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	30.00	100
150			4202-01-789-203-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	35.00	22.75	65
151	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210-03-105-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1211-पी.एम.एस.वाई. परिसर के अंतर्गत सुपर स्पेशलिस्ट की स्थापना	1.20	1.20	100
152			4210-03-105-0101-राज्य आयोजना सामान्य-6591- जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना	30.00	30.00	100
153	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-191-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.एस.पी.-1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	6.87	4.21	61.28
154			2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	12.70	12.70	100
155			2217-05-796-193-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	29.47	73.67
156			2217-05-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.एस.पी.-1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	10.00	10.00	100
157	73	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2064-टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	1.00	1.00	100
158			4210-03-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6885-चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना	1.00	1.00	100
159			4210-03-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7280-मानसिक चिकित्सालय, इंदौर एवं मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर का उन्नयन	1.00	1.00	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
160	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6967-माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन	12.75	10.45	81.96
161			2202-02-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	25.00	21.33	85.32
162			2215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	49.79	28.43	57.10
163			2215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-7166-हैण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण	12.09	9.26	76.59
164			2215-01-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-8415- ग्रामीण नल जल योजनाओं का संधारण	45.77	26.51	57.92
165			2225-01-186-1398- छात्रावास /आश्रमों का संचालन	4.27	3.36	78.69
166			2225-01-196-5902-माध्यमिक शिक्षा	4.50	4.50	100
167			2235-60-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-0075-अंध मूक बधिरों को वृत्तियां	2.50	2.41	96.40
168	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-5728-पेयजल पूर्ति के लिए नगरीय निकायों को कर्ज	20.00	13.04	65.20
योग				11,058.31	9,020.91	81.58

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.10
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.2.8; पृष्ठ 36)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	समर्पित राशि	(₹ करोड़ में) अधिक समर्पण
						(क) राजस्व—दत्तमत
1	34	सामाजिक न्याय	270.15	80.97	81.07	0.10
		योग (क)	270.15	80.97	81.07	0.10
			(ख) पूँजीगत—दत्तमत			
2	44	उच्च शिक्षा	158.93	51.23	51.79	0.56
3	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	425.97	91.75	118.44	26.69
		योग (ख)	584.90	142.98	170.23	27.25
		महायोग (क+ख)	855.05	223.95	251.30	27.35

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भ: कड़िका 2.2.9; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
I-अनुदान			
राजस्व (दत्तमत)			
1	05	जेल	38.87
2	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	16.42
3	17	सहकारिता	530.31
4	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	473.08
5	32	जनसंपर्क	17.33
6	36	परिवहन	18.30
7	43	खेल और युवक कल्याण	10.60
8	48	नर्मदा घाटी विकास	8.29
9	62	पंचायत	41.91
10	63	अल्प संख्यक कल्याण	8.13
11	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	171.87
पूंजीगत (दत्तमत)			
12	08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	17.89
13	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	17.22
14	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5.16
15	17	सहकारिता	33.24
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.50
17	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	18.36
18	38	आयुष	25.99
19	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	110.15
20	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	449.30
21	48	नर्मदा घाटी विकास	327.24
22	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.00
23	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	10.00
II-विनियोग			
राजस्व (प्रभारित)			
24	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1,153.89
25	06	वित्त	7.06
पूंजीगत (प्रभारित)			
26	पी.डी.	लोक ऋण	4,180.22
27	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल	20.44
		योग	7,716.77

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण
 (संदर्भ: कंडिका 2.2.9; पृष्ठ 36)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	(₹ करोड़ में) बचतें जो समर्पित नहीं की गई
					राजस्व दत्तमत
1	01	सामान्य प्रशासन	75.13	44.03	31.10
2	03	पुलिस	552.16	473.73	78.43
3	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	38.59	35.43	3.16
4	05	जेल	38.87	0.00	38.87
5	06	वित्त	2,352.81	8.97	2,343.84
6	07	वाणिज्यिक कर	902.84	25.76	877.08
7	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	303.20	3.96	299.24
8	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	16.42	0.00	16.42
9	10	वन	262.40	2.82	259.58
10	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	44.03	34.33	9.70
11	12	ऊर्जा	514.41	509.10	5.31
12	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,113.97	1,042.59	71.38
13	14	पशुपालन	151.84	148.66	3.18
14	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	762.58	722.85	39.73
15	16	मछली पालन	25.11	1.03	24.08
16	17	सहकारिता	530.31	0.00	530.31
17	18	श्रम	21.98	15.13	6.85
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	891.17	280.40	610.77
19	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	66.92	41.69	25.23
20	21	लोक सेवा प्रबंधन	86.46	83.31	3.15
21	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1,446.11	1,428.62	17.49
22	23	जल संसाधन	168.08	148.50	19.58
23	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	473.08	0.00	473.08
24	25	खनिज साधन	9.01	7.71	1.30
25	26	संस्कृति	22.98	19.75	3.23
26	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	1,435.30	242.53	1,192.77
27	28	राज्य विधान मंडल	18.09	5.02	13.07
28	29	विधि और विधायी कार्य	218.45	207.78	10.67
29	30	ग्रामीण विकास	61.39	56.53	4.86
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	190.17	179.49	10.68
31	32	जनसंपर्क	17.33	0.00	17.33
32	33	आदिम जाति कल्याण	400.79	393.33	7.46
33	36	परिवहन	18.30	0.00	18.30
34	38	आयुष	59.34	0.01	59.33
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	38.59	30.41	8.18
36	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	439.16	13.22	425.94
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,224.11	1,697.42	526.69
38	43	खेल और युवक कल्याण	10.60	0.00	10.60
39	44	उच्च शिक्षा	569.20	484.91	84.29
40	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	22.81	21.71	1.10
41	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	14.16	6.84	7.32

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
42	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	110.94	53.36	57.58
43	48	नर्मदा धाटी विकास	8.29	0.00	8.29
44	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	185.43	184.33	1.10
45	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	14.64	2.61	12.03
46	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	919.63	839.16	80.47
47	55	महिला एवं बाल विकास	118.01	116.54	1.47
48	56	ग्रामीणोग	91.28	75.83	15.45
49	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	381.33	237.49	143.84
50	62	पंचायत	41.91	0.00	41.91
51	63	अल्प संख्यक कल्याण	8.13	0.00	8.13
52	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	1,028.15	669.26	358.89
53	66	पिछ़ा वर्ग कल्याण	171.38	169.94	1.44
54	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	164.28	0.24	164.04
55	69	विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जाति कल्याण	9.77	0.53	9.24
56	71	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	66.75	24.04	42.71
57	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	22.19	0.45	21.74
58	73	चिकित्सा शिक्षा	57.10	4.45	52.65
59	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,157.16	1,009.23	2,147.93
60	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	289.15	161.24	127.91
61	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	171.87	0.00	171.87
योग			23,625.64	11,966.27	11,659.37
पूँजीगत दत्तमत					
62	06	वित्त	169.64	28.74	140.90
63	08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	17.89	0.00	17.89
64	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	17.22	0.00	17.22
65	10	वन	85.55	0.00	85.55
66	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5.16	0.00	5.16
67	14	पशुपालन	5.85	2.54	3.31
68	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	110.87	20.27	90.60
69	17	सहकारिता	33.24	0.00	33.24
70	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2.50	0.00	2.50
71	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	436.41	405.47	30.94
72	21	लोक सेवा प्रबंधन	1.99	0.94	1.05
73	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	470.32	468.18	2.14
74	23	जल संसाधन	35.54	9.21	26.33
75	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	18.36	0.00	18.36
76	26	संस्कृति	14.64	11.46	3.18
77	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	110.37	96.65	13.72
78	30	ग्रामीण विकास	114.17	9.50	104.67
79	36	परिवहन	9.32	0.62	8.70
80	38	आयुष	25.99	0.00	25.99
81	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	13.40	8.61	4.79

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
82	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	110.15	0.00	110.15
83	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,630.96	2,393.44	237.52
84	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	449.30	0.00	449.30
85	43	खेल और युवक कल्याण	3.87	0.22	3.65
86	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	51.35	32.45	18.90
87	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4.21	2.24	1.97
88	48	नर्मदा घाटी विकास	327.24	0.00	327.24
89	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	63.37	9.21	54.16
90	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	13.41	10.66	2.75
91	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	3.00	0.00	3.00
92	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	2,009.64	1,814.68	194.96
93	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	96.78	45.88	50.90
94	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	3.53	0.69	2.84
95	73	चिकित्सा शिक्षा	22.68	18.19	4.49
96	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	10.00	0.00	10.00
योग			7,497.92	5,389.85	2,108.07
राजस्व प्रभारित					
97	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1,153.89	नगण्य	1,153.89
98	01	सामान्य प्रशासन	17.10	1.71	15.39
99	06	वित्त	7.06	0.00	7.06
100	25	खनिज साधन	57.81	नगण्य	57.81
101	29	विधि और विधायी कार्य	36.04	29.49	6.55
योग			1,271.90	31.20	1,240.70
पूंजीगत प्रभारित					
102	पी.डी.	लोक ऋण	4,180.22	0.00	4,180.22
103	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	20.44	0.00	20.44
योग			4,200.66	0.00	4,200.66
महायोग			36,596.12	17,387.32	19,208.80

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.13
समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां
(संदर्भ: कंडिका 2.2.9.1; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	17	01,06,07,31,36,38,41,46,47,48,60,63,64,67,71	1,348.77	वित्त वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृति जारी की गई थीं।
2	8	02,05,17, 19, 37, 41, 64,72	2,010.17	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात् लेखों को बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
3	3	01,06,22	56.25	योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
4	3	04,67,73	40.21	समर्पण/पुनर्विनियोग राशि का प्रावधान से अधिक्य होना।
5	13	01,02,11,19,26,41,47,56,61	533.90	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा चाही जानकारी विभाग से प्राप्त न होना।
6	1	41	0.01	स्वीकृति पत्र में विसंगति के कारण।
7	1	14	0.14	शासकीय स्वीकृति के माध्यम से राशि का पूर्व में पुनर्विनियोग होने के कारण।
योग	46	29	3,989.45	

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.14

पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान एवं रखरखाव का गलत वर्गीकरण का विवरण
पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.2.10; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
1	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	4.79
2	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	90.00	89.44
3	27	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00
4	30	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	95.00	95.00
5	37	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00
6	61	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2.12	2.18
योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)			222.12	201.41
उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव				
7	14	4403-101-0101-5093-पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	2.05	0.68
8	26	4202-04-800-0101-7073-म.प्र. संस्कृति परिषद—विकास अनुदान	1.20	1.20
9	48	4700-45-001-9091-आँकारेश्वर परियोजना	49.00	40.68
10	48	4700-51-001-0101-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट एक एवं यूनिट दो)	1.20	0.92
11	48	4700-51-001-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट एक एवं यूनिट दो)	1.10	1.10
12	48	4700-80-800-0101-6398-पुनासा उद्वहन सिंचाइ योजना	4.46	0.40
13	48	4701-11-001-5223-मान परियोजना (नाबाड़)	2.00	1.26
14	48	4701-12-001-4647-जोबट परियोजना (नाबाड़)	1.50	1.50
15	48	4801-80-800-0101-4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	4.20	3.71
योग (उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव)			66.71	51.45

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.15

**राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ
बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था**
(संदर्भ: कंडिका 2.2.10; पेज 37)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन				
1	03	2055—पुलिस	181.10	166.75
2	05	2056—जेल	19.03	15.82
3	06	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	17.00	16.61
4	08	2029—भू—राजस्व	4.01	0.97
5	10	2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी	1.98	1.65
6	13	2401—फसल कृषि कर्म	4.94	4.60
7	14	2403—पशुपालन	3.75	3.75
8	17	2425—सहकारिता	1.03	0.89
9	19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	40.80	39.94
10	22	2217—शहरी विकास	11.27	11.27
11	32	2220—सूचना तथा प्रचार	2.50	2.51
12	38	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2.63	1.45
13	39	2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	4.35	4.35
14	41	2202—सामान्य शिक्षा	2.09	2.05
15	41	2204—खेलकूद तथा युवा सेवायें	1.50	1.49
16	41	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3.60	2.76
17	41	2230—श्रम तथा रोजगार	29.16	26.09
18	44	2202—सामान्य शिक्षा	26.81	26.80
19	47	2203—तकनीकी शिक्षा	5.65	1.97
20	47	2230—श्रम तथा रोजगार	14.29	12.12
21	56	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	2.08	2.08
22	58	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	21.13	21.13
23	64	2202—सामान्य शिक्षा	2.50	2.52
24	64	2204—खेलकूद तथा युवा सेवायें	1.50	1.35
25	64	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3.03	2.55
26	64	2230—श्रम तथा रोजगार	6.10	5.49
27	71	2217—शहरी विकास	56.41	56.41
28	73	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11.88	8.18
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन)			482.12	443.55
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् कार्य				
29	26	2205—कला एवं संस्कृति	25.00	0.23
30	39	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	1.65	1.51
31	48	2401—फसल कृषि—कर्म	10.60	6.61
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् कार्य)			37.25	8.35

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, गवालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.16
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.2.12; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी—मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	जनवरी—मार्च 2017	मार्च 2017
1	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5856	41.76	41.76	41.76	100	100	100
2	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6622	67.42	67.42	67.42	100	100	100
3	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7584	46.99	46.99	46.99	100	100	100
4	पी.डी.—लोक ऋण	5519	470.00	470.00	470.00	100	100	100
5	06-वित्त	6857	14.21	14.21	14.21	100	100	100
6	12-ऊर्जा	0663	441.71	441.71	441.71	100	100	100
7	12-ऊर्जा	0688	7,568.00	7,568.00	7,568.00	100	100	100
8	12-ऊर्जा	1284	91.00	91.00	91.00	100	100	100
9	12-ऊर्जा	2034	50.00	50.00	50.00	100	100	100
10	12-ऊर्जा	3218	313.13	313.13	313.13	100	100	100
11	12-ऊर्जा	6869	44.50	44.50	44.50	100	100	100
12	12-ऊर्जा	7255	118.92	118.92	118.92	100	100	100
13	12-ऊर्जा	7633	354.28	354.28	354.28	100	100	100
14	15—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	124.77	124.77	124.77	100	100	100
15	17—सहकारिता	2112	30.59	30.59	30.59	100	100	100
16	17—सहकारिता	6425	11.94	11.94	11.94	100	100	100
17	17—सहकारिता	7232	17.92	17.92	17.92	100	100	100
18	17—सहकारिता	7261	66.52	66.52	66.52	100	100	100
19	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	8888	15.47	15.47	15.47	100	100	100
20	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	7704	41.67	41.67	41.67	100	100	100
21	23—जल संसाधन	0641	34.65	34.65	34.65	100	100	100
22	25—खनिज साधन	6606	577.20	577.20	577.20	100	100	100
23	34—सामाजिक न्याय	5614	14.50	14.50	14.50	100	100	100
24	37—पर्यटन	6316	89.00	89.00	89.00	100	100	100
25	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7399	254.82	254.82	254.82	100	100	100
26	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7585	100.00	100.00	100.00	100	100	100
27	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7255	21.98	21.98	21.98	100	100	100

सं. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी—मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी— मार्च 2017	मार्च 2017
28	52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0647	11.22	11.22	11.22	100	100
29	52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7668	172.47	172.47	172.47	100	100
30	53—अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1238	90.54	90.54	90.54	100	100
31	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0475	921.00	921.00	921.00	100	100
32	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	6949	1,875.80	1,875.80	1,875.80	100	100
33	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0647	18.13	18.13	18.13	100	100
34	74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0660	57.67	57.67	57.67	100	100
योग			14,169.78	14,169.78	14,169.78		

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.1
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति	प्रतिशतता
1	0029—भू—राजस्व	406.65	69.25	17.03
2	0035—कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	583.52	583.52	100
3	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	7,532.59	5,824.73	77.33
4	0043—विद्युत कर तथा शुल्क	2,620.53	586.59	22.38
5	0049—व्याज प्राप्तियाँ	581.67	153.83	26.45
6	0055—पुलिस	149.89	32.28	21.54
7	0056—जेल	6.19	6.19	100
8	0059—लोक निर्माण कार्य	115.93	113.88	98.23
9	0075—विविध सामान्य सेवाएं	115.09	15.18	13.19
10	0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	167.04	22.42	13.42
11	0211—परिवार कल्याण	0.09	0.09	100
12	0215—जलपूर्ति तथा सफाई	31.15	27.64	88.73
13	0217—शहरी विकास	35.08	35.08	100
14	0220—सूचना तथा प्रचार	0.25	0.24	96.00
15	0230—श्रम तथा रोजगार	26.18	9.35	35.71
16	0235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	88.78	87.32	98.36
17	0401—फसल कृषि—कर्म	48.38	31.20	64.49
18	0403—पशुपालन	3.69	1.59	43.09
19	0405—मछली पालन	6.70	2.32	34.63
20	0406—वानिकी तथा वन्य जीवन	917.98	185.80	20.24
21	0408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	0.14	0.02	14.29
22	0435—अन्य कृषि कार्यक्रम	1.91	1.70	89.01
23	0515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	19.54	7.83	40.07
24	0700—मुख्य सिंचाई	35.35	22.05	62.38
25	0702—लघु सिंचाई	336.25	336.25	100
26	0801—बिजली	358.81	358.81	100
27	0810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	12.82	1.34	10.45
28	0851—ग्राम तथा लघु उद्योग	3.58	0.86	24.02
29	0852—उद्योग	24.41	24.39	99.92
30	0853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,168.28	2,534.81	80.01
31	0875—अन्य उद्योग	0.01	0.01	100
32	1054—सड़क तथा सेतु	2.70	0.33	12.22
33	1452—पर्यटन	89.18	89.18	100
34	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायतानुदान	23,962.53	21,424.36	89.41
	योग	41,452.89	32,590.44	

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.2
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 42)

₹ करोड़ में

संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2075—विविध सामान्य सेवाएं	34.57	19.60	56.70
2	2204—खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	170.53	115.28	67.60
3	2205—कला एवं संस्कृति	183.27	79.29	43.26
4	2217—शहरी विकास	4,819.62	3,457.87	71.75
5	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	154.97	148.61	95.90
6	2403—पशुपालन	784.81	150.31	19.15
7	2405—मछली पालन	66.45	6.81	10.24
8	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,916.16	856.72	17.43
9	2700—मुख्य सिंचाई	147.06	15.03	10.22
10	2701—मध्यम सिंचाई	382.39	90.07	23.55
11	2702—लघु सिंचाई	150.47	137.89	91.64
12	2705—कमान क्षेत्र विकास	7.69	4.34	56.44
13	2852—उद्योग	1,621.93	1,608.36	99.16
14	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	939.77	577.20	61.42
15	3054—सड़क तथा सेतु	1,244.95	331.73	26.65
16	3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	89.74	50.19	55.93
17	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.92	4.92	100
18	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	736.97	84.68	11.49
19	4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	723.90	247.41	34.18
20	4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	202.32	40.75	20.14
21	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	549.83	267.39	48.63
22	4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	16.55	11.27	68.10
23	4408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.53	0.53	100
24	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,169.35	2,755.90	86.95
25	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,869.53	4,836.79	82.40
26	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,165.88	1,097.06	94.10
27	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,116.36	446.56	40.00
28	4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	6.54	0.79	12.08
29	4852—लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	25.00	25.00	100
30	4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.77	1.77	100
31	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.00	13.00	100
32	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,662.70	1,855.14	39.79
33	5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.94	0.94	100
34	5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4.00	80
35	5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.13	1.13	100
योग		33,986.60	19,344.33	

(स्रोत: वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.3
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 43)

₹ लाख में

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	05	17.39	01	2.41	-	-	-	-	01	0.44	-	-	07	20.24
2	2015—निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	02	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.84
4	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	03	440.49	02	358.72	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
5	2055—पुलिस	105	125.84	112	37.22	59	40.97	33	30.30	06	5.06	-	-	315	239.39
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	01	0.17	-	-	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	17	285.50	10	13.50	02	1.29	01	0.81	02	1.20	75	419.70	107	722.00
8	2203—तकनीकी शिक्षा	01	1.80	04	1.40	08	24.16	-	-	-	-	-	-	13	27.36
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	02	3.77	01	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.21
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	01	2.29	03	17.57	01	4.43	04	23.58	01	3.08	05	9.99	15	60.94
11	2211—परिवार कल्याण	01	43.99	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.67	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	-	-	03	4.05	01	0.38	01	0.48	-	-	-	-	05	4.91
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.45	04	5.37	06	8.82

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
14	2230—श्रम तथा रोजगार	06	7.81	04	2.16	02	0.18	01	6.77	-	-	-	-	13	16.92
15	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	02	9.16	-	-	01	1.31	-	-	01	4.04	03	1.62	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	10	31.77	05	8.88	04	4.64	-	-	-	-	03	0.48	22	45.77
17	2403—पशुपालन	-	-	04	4.91	06	1.72	03	5.51	03	1.15	04	5.80	20	19.09
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	583	333.03	104	349.58	199	234.75	395	325.84	280	146.05	1,070	208.36	2,631	1,597.61
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	01	42.32	-	-	02	1.34	01	2.90	-	-	04	46.56
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	नगण्य	-	-	-	-	-	-	-	-	01	नगण्य
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	05	4.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	4.42
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	23.09
24	नर्मदा घाटी विकास विभाग	03	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	1.30
25	जल संसाधन विभाग	03	2.77	05	6.40	-	-	01	1.00	-	-	-	-	09	10.17
योग		756	1,352.23	261	857.46	283	313.83	441	395.63	300	189.56	1,171	667.96	3,212	3,776.67

(प्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.4
चोरी, दुर्विनियोग / सरकारी सामग्रीयों की हानि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 43)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग / सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	05	5.42	02	14.82	07	20.24
2	2015—निवाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	-	-	02	0.84	02	0.84
4	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
5	2055—पुलिस	16	5.18	299	234.21	315	239.39
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	30	58.00	77	664.00	107	722.00
8	2203—तकनीकी शिक्षा	09	12.19	04	15.17	13	27.36
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.45	02	3.76	03	4.21
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	05	6.76	10	54.18	15	60.94
11	2211—परिवार कल्याण	-	-	03	47.66	03	47.66
12	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	4.26	04	4.56	06	8.82
14	2230—श्रम तथा रोजगार	09	3.81	04	13.11	13	16.92
15	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	03	2.47	04	13.66	07	16.13
16	2401—फसल कृषि-कर्म	14	9.84	08	35.93	22	45.77
17	2403—पशुपालन	08	7.16	12	11.93	20	19.09
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	41	12.02	2,590	1,585.59	2,631	1,597.61
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.13	04	46.56
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	नगण्य	01	नगण्य
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	04	4.30	05	4.42
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	0.38	01	0.92	03	1.30
24	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
25	जल संसाधन विभाग	09	10.17	-	-	09	10.17
योग		167	609.45	3,045	3,167.22	3,212	3,776.67

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.5
2016–17 के दौरान अपलेखित प्रकरण
 (संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2055—पुलिस	पुलिस महानिदेशक, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन तथा वायरलेस सेट	11	2.10
2	2202—सामान्य शिक्षा	निदेशक, लोक शिक्षा, भोपाल	आग से हुई हानि	04	2.22
3	2403—पशुपालन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	01	0.03
4	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	30	46.15
योग				46	50.50

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.6
2016–17 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली
 (संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग/हानि/चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	01	2014–न्याय प्रशासन	हानि	2006-07	1,22,467	1,22,467
	01			योग	1,22,467	1,22,467
2	01	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	चोरी	2015-16	85,652	85,652
	01			योग	85,652	85,652
3	01	2055–पुलिस	हानि	1990-91	30,000	30,000
4	01	2055–पुलिस	हानि	1999-00	13,343	13,343
5	01	2055–पुलिस	हानि	2004-05	28,150	28,150
6	01	2055–पुलिस	हानि	2004-05	15,080	15,080
7	01	2055–पुलिस	हानि	2005-06	2,305	2,305
8	01	2055–पुलिस	हानि	2006-07	65,000	65,000
9	01	2055–पुलिस	चोरी	2006-07	21,575	21,575
10	01	2055–पुलिस	हानि	2007-08	2,994	2,994
11	01	2055–पुलिस	हानि	2010-11	6,682	6,682
12	01	2055–पुलिस	हानि	2010-11	59,076	59,076
13	01	2055–पुलिस	हानि	2011-12	42,980	42,980
14	01	2055–पुलिस	हानि	2013-14	1,60,000	1,60,000
15	01	2055–पुलिस	हानि	2013-14	1,00,000	1,00,000
16	01	2055–पुलिस	हानि	2015-16	21,500	21,500
17	01	2055–पुलिस	हानि	2016-17	6,850	6,850
18	01	2055–पुलिस	हानि	2016-17	4,00,000	4,00,000
	16			योग	9,75,535	9,75,535
19	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1986-87	19,904	19,904
20	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1991-92	24,342	24,342
21	01	2202–सामान्य शिक्षा	चोरी	1991-92	47,717	47,717
22	01	2202–सामान्य शिक्षा	हानि	2007-08	3,17,082	3,17,082
23	01	2202–सामान्य शिक्षा	दुर्विनियोग	2007-08	56,491	56,491
	05			योग	4,65,536	4,65,536
24	01	2203–तकनीकी शिक्षा	चोरी	2016-17	1,76,970	1,76,970
	01			योग	1,76,970	1,76,970
25	01	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	हानि	1995-96	26,506	26,506
	01			योग	26,506	26,506
26	01	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	चोरी	1989-90	1,04,293	1,04,293
	01			योग	1,04,293	1,04,293
27	11	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1975-76	6,11,201	6,11,201
28	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1976-77	5,000	5,000
29	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1977-78	9,576	9,576
30	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1980-81	20,583	20,583
31	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1981-82	15,040	15,040
32	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1982-83	10,558	10,558

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग/हानि/चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
33	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1985-86	3,162	3,162
34	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1987-88	60,759	60,759
35	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1991-92	1,833	1,833
36	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1993-94	50,703	50,703
37	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1994-95	776	776
38	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1995-96	1,17,126	1,17,126
39	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1996-97	2,660	2,660
40	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1998-99	40,089	40,089
41	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1999-00	53,986	53,986
42	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2001-02	14,274	14,274
43	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2004-05	5,130	5,130
44	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2007-08	30,684	30,684
45	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2008-09	64,878	64,878
46	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2009-10	45,000	45,000
47	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2012-13	6,454	6,454
48	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2013-14	25,863	25,863
49	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2014-15	86,277	86,277
50	27	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2015-16	3,54,679	3,21,580
51	162	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2016-17	7,43,994	7,42,206
	235			योग	23,80,285*	23,45,398
	261	कुल योग			43,37,244*	43,02,357

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.7
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

₹ करोड़ में

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	
		संख्या	राशि
1	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014—न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029—भू—राजस्व	104	1.20
4	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047—अन्य राज्यकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2055—पुलिस	12	1.76
8	2075—विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
10	2205—कला तथा संस्कृति	01	0.15
11	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
12	2217—शहरी विकास	684	321.34
13	2220—सूचना तथा प्रचार	35	1.50
14	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
15	2230—श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
16	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
17	2236—पोषण	09	86.65
18	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	06	22.94
19	2401—फसल कृषि—कर्म	3,090	439.99
20	2403—पशुपालन	495	201.86
21	2405—मछली पालन	3,536	11.12
22	2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1,596	4,795.82
23	2425—सहकारिता	644	251.80
24	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1,021.62
25	2505—ग्राम रोजगार	34	158.42
26	2702—लघु सिंचाई	280	12.55
27	2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
28	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
29	2852—उद्योग	2,987	187.07
30	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
31	3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	397	10.89
32	3452—पर्यटन	185	81.05
33	3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	20	57.45
34	3604—रथानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
35	4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	11	1.25
36	6425—सहकारिता के लिए कर्ज	59	1.70
	योग	21,094	18,080.10

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.8
बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 3.12; पृष्ठ 48)

(₹ लाख में)

स.क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2017 की स्थिति में शेष
1	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय, म.प्र., भोपाल	सहायक संचालक, उद्यानिकी, भोपाल	05	बैंक ऑफ इंडिया, टी.टी. नगर, भोपाल(एम.आई.डी.एच)	900110210000001*	85.30
					सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल	1793117724	437.65
					स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	33568115412	102.78
					बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल	900210110001978	17.25
					बैंक ऑफ इंडिया, टी.टी. नगर, भोपाल (एम.एन.आर.ई.जी.ए.)	900110210000001*	5.94
		सहायक संचालक, उद्यानिकी, डिन्डौरी	सहायक संचालक, उद्यानिकी, डिन्डौरी	01	सी.सी.बी., डिन्डौरी	661513039459	1.39
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर	प्रबंध निदेशक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छतरपुर	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए.डी.बी., छतरपुर	31135124682	0.72
3	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी	आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, भोपाल	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा—विन्ध्याचल	32215335882	197.54
4	सामान्य प्रशासन	कलेक्टर, देवास	संयुक्त कलेक्टर, देवास	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देवास	53012945833	126.36
		कलेक्टर, सिंगरौली	संयुक्त कलेक्टर, सिंगरौली	01	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंगरौली	452502010010482	80.11

संक्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक खातों की संख्या	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाता क्रमांक	31 मार्च 2017 की स्थिति में शेष
5		कलेक्टर, विदिशा	डिप्टी कलेक्टर, विदिशा	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विदिशा	53030893200	93.01
		कलेक्टर, ग्वालियर	डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्वालियर	10554232197	487.51
		कलेक्टर, मुरैना	संयुक्त कलेक्टर, मुरैना	02	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुरैना	435202010002034	24.80
		कलेक्टर, बालाघाट		01	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना	683102038959	22.61
		कलेक्टर, पन्ना	प्रभारी अधिकारी वित्त, पन्ना	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बालाघाट	10750414219	53.52
		कलेक्टर, इन्दौर	डिप्टी कलेक्टर, इन्दौर	01	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्दौर	53042771266	106.53
5	राजस्व	उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल	उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल	02	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल	33751031462	124.76
					स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल	31147482237	0.59
योग			13	19			2,034.43

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

* दो विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित राशि एक ही बैंक खाते में जमा की गयी।

परिशिष्ट 3.9

31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश
 (संदर्भ: कंडिका 3.14; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	जिस वर्ष के लेखे बकाया हैं, उस दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति								
					समता पूंजी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति				
क. कार्यशील कंपनियां													
एक वर्ष													
1	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	1.80	2015-16	2016-17	0.00	0.00	20.00	0	0				
2	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	5.50	2015-16	2016-17	0	0	7.75	0	0				
3	मध्य प्रदेश वेंचर वित्त लिमिटेड	0.31	2015-16	2016-17	0.20	0.50	0	0	0				
4	मध्य प्रदेश वेंचर वित्त ट्रस्टी लिमिटेड	0.01	2015-16	2016-17	0.01	0	0	0	0				
5	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	30.00	2015-16	2016-17	29.39	0	0	0	0				
6	मध्य प्रदेश शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड	1.00	2015-16	2016-17	0	0	100.00	0	0				
7	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	21.91	2015-16	2016-17	0	0	0	91.70	0				
8	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,322.43	2015-16	2016-17	0	951.86	20.00	2,334.65	0.90				
9	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,049.43	2015-16	2016-17	0	73.17	59.45	0	64.44				
10	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	3,601.35	2015-16	2016-17	0	53.63	1,274.38	1,908.96	97.16				
11	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	0.80	2015-16	2016-17	0	0	3.50	0	0				
12	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24.97	2015-16	2016-17	0	0	140.11	1.43	0				
उप-योग					29.60	1,079.16	1,625.19	4,336.74	162.50				
दो से पाँच वर्ष													
13	मध्य प्रदेश पुलिस गृह-निर्माण निगम लिमिटेड	4.58	2014-15	2015-16	0	92.50	0	0	577.86				
				2016-17	0	0	0	0	0				
14	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	55.00	2014-15	2015-16	10.00	0	407.00	0	0				
				2016-17	45.00	0	276.33	0	0				

संक्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	जिस वर्ष के लेखे बकाया हैं, उस दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति							
					समता पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति			
15	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	2013-14	2015-16 तक	0	22.16	0	0	0			
				2016-17	0	22.16	0	0	0			
16	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	2009-10	2015-16 तक	3.70	0	2.55	51.30	0			
				2016-17	0	8.76	0.54	29.00	0			
17	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	36.18	2003-04	2015-16 तक	6.33	0	18.30	41.50	0			
				2016-17	0	0	3.47	57.00	0			
उप-योग					65.03	145.58	708.19	178.80	577.86			
योग (क)					94.63	1,224.74	2,333.38	4,515.54	740.36			
ख. अकार्यशील कम्पनियां												
एक वर्ष-निरंक												
दो से पाँच वर्ष-निरंक												
पाँच वर्ष अधिक												
1	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	6.86	2009-10	2015-16 तक	0	0	3.61	0	0			
				2016-17	0	0	0.73	0	0			
योग (ख)					0	0	4.34	0	0			
कुल योग (क+ख)					94.63	1,224.74	2,337.72	4,515.54	740.36			

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.10
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.15; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ / हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लाभाश	घोषित लाभांश / किया गया प्रावधान
क. कार्यशील कंपनियां							
1	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2015-16	39.12	134.09	149.81	7.82	7.91
2	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	63.05	281.55	367.71	12.61	12.58
3	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2016-17	0.10	8.08	11.91	0.02	0.00
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2016-17	0.31	2.13	12.13	0.06	0.00
5	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2015-16	0.71	0.85	6.35	0.14	0.00
6	दि प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2014-15	0.68	20.32	26.63	0.14	0.00
7	मध्य प्रदेश पुलिस गृह-निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	9.51	45.17	49.75	1.90	0.00
8	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	53.44	219.97	255.66	10.69	0.00
9	इन्डौर स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड	2016-17	0.34	0.34	103.56	0.07	0.00
10	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2016-17	0.52	-7.33	4.79	0.10	0.00
11	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	14.17	16.75	38.06	2.83	0.00
12	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	91.81	332.93	335.13	18.36	18.38
13	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2016-17	22.23	-234.65	2,478.05	4.45	0.00
14	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2016-17	24.83	-3,068.47	2,882.79	4.97	0.00
15	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	2015-16	0.40	13.09	13.89	0.08	0.00
16	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15	16.31	104.41	119.92	3.26	4.51
17	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	0.65	67.90	76.37	0.13	0.00
18	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2015-16	5.92	5.88	31.34	1.18	0.00
19	डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2016-17	1.36	5.50	118.36	0.27	0.00
20	डी.एम.आई.सी. पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2016-17	1.34	5.49	40.49	0.27	0.00
21	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	2016-17	4.39	5.33	15.33	0.88	0.00
22	मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2016-17	35.41	335.33	244.29	7.08	0.00
23	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2016-17	9.16	12.09	393.19	1.83	0.00
24	संत रविदास मध्य प्रदेश हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2014-15	0.08	2.62	3.88	0.02	0.00

सं. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ / हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार ¹ लाभाश	घोषित लाभांश/ किया गया प्रावधान
25	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड	2016-17	0.26	0.23	5.23	0.05	0.00
26	मध्य प्रदेश जल निगम मयार्दित	2014-15	1.62	-0.20	54.80	0.32	0.00
27	शाहपुरा ताप विद्युत कम्पनी लिमिटेड	2015-16	नगण्य	0.02	0.07	नगण्य	0.00
28	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	नगण्य	0.16	13.55	नगण्य	0.00
योग (क)			397.72			79.53	43.38
ख. अकार्यशील कम्पनी							
1	मध्य प्रदेश जे. पी. कोल फील्ड्स लिमिटेड	2016-17	0.01	-9.64	0.36	नगण्य	0.00
योग (ख)			0.01	-9.64		नगण्य	0.00
कुल योग (क+ख)			397.73			79.53	43.38

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)